

सं. ए-35014/05/2021-सीएचएस-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

\*\*\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 8 दिसंबर, 2021

सेवा में,

- i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल एवं रक्षा मंत्रालय सहित)
- ii. सभी राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन
- iii. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी सांविधिक निकाय/ स्वायत्त निकाय/ अर्ध-सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाएं

विषय:- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ, शिक्षण विशेषज्ञ, गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार (रेल एवं रक्षा मंत्रालयों सहित) या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के सदृश पदधारी अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाएंगी।

2. नियमित आधार पर सदृश पदधारी जो अधिकारी अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा मूल संगठन में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं, वे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पद एवं उप-संवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी अधिकारी, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत, भी आवेदन कर सकते हैं। सीएचएस के संबंधित उप-संवर्गों में पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदों के लिए अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव के विवरण निम्नानुसार संबंधित अनुलग्नक में दिए गए हैं:

क्र. सं.	सीएचएस के उप-संवर्ग	अनुलग्नक
1	जीडीएमओ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - I
2.	अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - II
3.	गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - III
4.	जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग	अनुलग्नक - IV

पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, अर्हता आदि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट "<https://www.mohfw.gov.in> पर भी देख सकते हैं।

3. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति हेतु चुने गए अधिकारी या तो प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन लेने अथवा अपने मूल संवर्ग का वेतन तथा उस पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता और निजी वेतन, यदि कोई हो, लेने का चयन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथा संशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, यदि नियमित भर्ती की जाती है या किसी कारणवश नीति परिवर्तित की जाती है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि एकपक्षीय रूप से समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानक प्रतिनियुक्ति शर्तों द्वारा शासित की जाएंगी।

5. निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में भरे हुए आवेदन पत्र रोजगार समाचार में सांकेतिक विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर अवर सचिव (सीएचएस-V), कमरा नं. 214, डी-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। सभी आवेदन पत्र इस मंत्रालय में उचित माध्यम द्वारा पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

6. इस मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी भेजें:-

- इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित अधिकारी की सीएचएस में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र या मूल विभाग/ संगठन को "कोई आपत्ति नहीं" है।
- आवेदक की पिछले पांच वर्षों की एसीआर/ एपीएआर (ACR/APAR) की सत्यापित प्रतियां (एपीआर का प्रत्येक पृष्ठ विधिवत सत्यापित होना चाहिए)। यदि एपीएआर प्रस्तुत नहीं की गईं/

उपलब्ध नहीं हैं तो आवश्यक एपीएआर के बदले में उपयुक्त कारणों के साथ एक प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष की एपीएआर प्रस्तुत की जानी चाहिए।


- iii. निर्धारित प्रारूप में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, सतर्कता निपटान और पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति का प्रमाणपत्र।
- iv. एमबीबीएस और स्नाकोत्तर डिग्री का प्रमाणपत्र तथा चिकित्सा परिषद में पंजीकरण प्रमाण पत्र।

अधूरे आवेदन पत्र या उक्त उल्लिखित प्रलेखों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनकी पत्नी/ पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत हैं और ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं या कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस पद विद्यमान हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 2306 1986

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी.), एनआईसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर सीएचएस के अंतर्गत अपलोड करें)।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी मंत्रालय।

**जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ)**

**पदों का नाम और वेतन मैट्रिक्स**

- |      |                             |  |
|------|-----------------------------|--|
| i.   | मेडिकल ऑफिसर (एमओ)          | वेतन मैट्रिक्स 56100-177500/- रुपए का लेवल 10  |
| ii.  | सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11  |
| iii. | चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ)    | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12  |
| iv.  | चीफ मेडिकल ऑफिसर (एनएफएसजी) | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13 |

**अर्हता एवं अनुभव**

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की अनुसूची-V के अनुसार है (परिशिष्ट-क)

**पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है**

क्र.स.	पदों का नाम	भाग लेने वाली इकाइयों का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, प्रयागराज/इलाहाबाद	02
2.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, अहमदाबाद	02
3.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, देहरादून	01
4.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, सिल्चर	01
5.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, जबलपुर	02
6.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, सिलीगुड़ी	01
7.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कानपुर	02
8.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, मेरठ	02

9.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	01
10.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	गवर्नमेंट ऑपियम एवं एल्कलॉएड वर्क्स, नीमच (मध्य प्रदेश)	01
11.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मुंबई,	01
12.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	01
13.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	01
14.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, गौरीपुर (पश्चिम बंगाल)	01
15.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, रायपुर (छत्तीसगढ़)	01
16.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरओएचएफडब्ल्यू, अहमदाबाद	01
17.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	एपीएचओ, अहमदाबाद	01
18.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, दिल्ली	06
19.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दिल्ली	01
<b>कुल</b>			<b>29</b>

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक -II**

**शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग:-**

पद का नाम और वेतनमान:

- i. असिस्टेंट प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11
- ii. एसोसिएट प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12
- iii. प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13

**अर्हता एवं अनुभव**

शिक्षण उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है:

**रिक्ति का विवरण, जिन्हें भरा जाना है**

क्र.सं	पद का नाम	इकाई और कार्यस्थल का नाम	स्पेशियलिटी	रिक्तियों की संख्या
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई	पीएमआर	02
2.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	मनश्चिकित्सा	02
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	एनेस्थिसिया	02
4.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	तंत्रिका-विज्ञान	02
5.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	रेडियो डायग्नोसिस	02
6.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	पैथोलॉजी	01
7.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	न्यूरो सर्जरी	02
8.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	सीआईओ, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	आर्थोपैडिक	01
<b>कुल</b>				<b>14</b>

.....

**गैर- शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग**

पद का नाम:

- |      |                       |   |                               |   |                 |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|
| i.   | स्पेशलिस्ट ग्रेड III। | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700   | - | रुपए का लेवल 11 |
| ii.  | स्पेशलिस्ट ग्रेड II   | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- | - | रुपए का लेवल 12 |
| iii. | स्पेशलिस्ट ग्रेड I    | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- | - | रुपए का लेवल 13 |

**अर्हता एवं अनुभव:**

गैर- शिक्षण उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है।

**पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है**

i.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	सर्जरी	02
ii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	मेडिसिन	02
iii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	एनेस्थिसिया	02
iv.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	स्त्री रोग विज्ञान	02
v.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	चर्म रोग विज्ञान	01
vi.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	नेत्र रोग विज्ञान	02
vii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, गौरीपुर	अस्थि रोग- सर्जरी	01
viii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, गौरीपुर	पैथोलॉजी	01
ix.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, रायपुर	पैथोलॉजी	01
x.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, अस्का	पैथोलॉजी	01
<b>कुल</b>				<b>15</b>

....

**जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग**

पद का नाम:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| i. स्पेशलिस्ट ग्रेड III | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11  |
| ii. स्पेशलिस्ट ग्रेड II | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12  |
| iii. स्पेशलिस्ट ग्रेड I | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13 |

**अर्हता एवं अनुभव:**

जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है।

**पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है**

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेशियलिटी एवं कार्य स्थल	स्पेशियलिटी	पदों की संख्या
1.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/III/I	जन स्वास्थ्य, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता	जन स्वास्थ्य	02
			<b>कुल</b>	<b>02</b>

....



जीवन- वृत्त/ पाठ्य-वृत्त प्रारूप

1. नाम और पता (ब्लॉक अक्षरों में):					
2. जन्म तिथि (ईसवी में):					
3. i) सेवा में प्रवेश की तिथि:					
ii) केंद्रीय / राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख					
4. शैक्षिक अर्हता					
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार को बताएं)					
विज्ञापन / रिक्ति परिपत्र में उल्लेखानुसार अपेक्षित - अर्हता/ अनुभव		अधिकारी की अर्हताएं/ अनुभव			
अनिवार्य		अनिवार्य			
क) अर्हता		क) अर्हता			
ख) अनुभव		ख) अनुभव			
वांछनीय		वांछनीय			
क) अर्हता		क) अर्हता			
ख) अनुभव		ख) अनुभव			
5.1 टिप्पणी: इस कॉलम को प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग / कार्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी करने और रोजगार-समाचार में विज्ञापन जारी करने के समय आरआर में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हता को इंगित करने के लिए प्रवर्धित किए जाने की आवश्यकता है।					
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हता के मामले में उम्मीदवार द्वारा वैकल्पिक / मुख्य विषयों और सहायक विषयों को दर्शाया जा सकता है।					
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों के आलोक में आप पद की अनिवार्य अर्हता और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।					
6.1 टिप्पणी: आदाता विभाग को आवेदित पद के संदर्भ में उम्मीदवार के पास संबंधित अनिवार्य अर्हता / कार्य अनुभव (जैसा कि बायो-डेटा में दर्शाया गया है) की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/ राय प्रस्तुत करनी हैं।					
7. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो: अपने हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित पृथक शीट संलग्न करें					
कार्यालय / संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	कब से	कब तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड पे / वेतनमान	पद के लिए अपेक्षित अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कर्तव्यों की

					प्रकृति (विस्तृत रूप से)

\* महत्वपूर्ण: एसीपी / एमएसीपी के तहत दिए गए वेतन बैंड और ग्रेड पे अधिकारी के व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान पे बैंड और ग्रेड पे के साथ एसीपी/एमएसीपी का विवरण, जहां अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार के लाभ लिए गए हैं, निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है:

कार्यालय / संस्था	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत आहतिरत वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन		कब से	कब तक
8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी				
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर धारित है, तो कृपया ब्यौरा दें:				
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आवेदक संबंधित है	घ) मूल संगठन में सबस्टेंटिव क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन	
9.1 टिप्पणी: पहले से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में, इस प्रकार के अधिकारी के आवेदन पत्र को संवर्ग मंजूरी, सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ मूल संवर्ग / विभाग द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।				
9.2 टिप्पणी: ऐसे सभी मामलों में कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना दी जानी चाहिए, जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, लेकिन अपने मूल संवर्ग / संगठन में अभी भी लियन रखे हुए हैं।				
10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पद धारण किया गया है, तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि और अन्य विवरण।				
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि किससे तहत कार्यरत है (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम बताएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार				

ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य		
12. कृपया बताएं कि क्या आप एक ही विभाग में कार्य कर रहे हैं या फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।		
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तिथि दर्शाएं, जिससे संशोधन हुआ था और साथ ही पूर्व-संशोधित वेतनमान को भी इंगित करें।		
14. अब प्रति माह आहरित कुल पारिलब्धियां		
पीबी में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल पारिलब्धियां
15. यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंधित है, जो केंद्र सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्यी संलग्न की जा सकती है।		
वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतन वृद्धि की दर	महंगाई वेतन / अंतरिम राहत / अन्य भत्ते आदि, (विस्तृत ब्यौरे सहित)	कुल पारिलब्धियां
16. क अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आवेदित पद के लिए प्रासंगिक हो तथा पद के लिए आपकी उपयुक्तता में सहायता करे। (इसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं (i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति पत्र/विज्ञापन में निर्धारित से अधिक कार्य अनुभव (नोट: यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग शीट संलग्न करें)		
16. ख उपलब्धियां: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्न के संबंध में जानकारी दें: i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं ii) पुरस्कार / छात्रवृत्ति / आधिकारिक प्रशस्ति पत्र iii) व्यावसायिक निकायों / संस्थानों / समितियों के साथ संबद्धता; तथा iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेंट: v) आधिकारिक मान्यता को शामिल करते हुए कोई भी अनुसंधान / अभिनव उपाय: vi) कोई अन्य सूचना। (टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग शीट संलग्न करें)		

<p>17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) / आमेलन / पुनः रोजगार आधार# पर आवेदन कर रहे हैं। # (केवल केंद्र / राज्य सरकार के अधीन अधिकारी "आमेलन" हेतु पात्र हैं गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं)।</p>	
<p># (एसटीसी / 'आमेलन' / 'पुनः रोजगार' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध है, जब रिक्ति परिपत्र विशेष रूप से "एसटीसी" या "आमेलन" या "पुनः रोजगार" द्वारा भर्ती का उल्लेख करता हो)</p>	
<p>18. क्या एससी/ एसटी से संबंधित हैं</p>	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मुझे भली भांति ज्ञात है कि अनिवार्य अर्हता / कार्य अनुभव के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित जीवन-वृत्त में दी गई जानकारी का भी पद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी / विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं तथा कोई भी ऐसा तथ्य छुपाया अथवा दबाया नहीं गया है, जो मेरे चयन पर प्रभाव डाले।

दिनांक

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता \_\_\_\_\_

## नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी / विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। वह विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता है। यदि उसका चयन होता है, तो उसे तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

### 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है:

- i) श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित / विचाराधीन नहीं है।
- ii) उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित है।
- iii) उसका मूल एसीआर/एपीआर डोजियर संलग्न है / भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा यथोचित सत्यापित उसकी पिछले 05 वर्षों की एसीआर की फोटो-प्रतियां संलग्न हैं।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी / छोटी अथवा शास्ति अध्यारोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर अध्यारोपित बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित  
(नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मुहर सहित)

**अनुसूची V**  
**(नियम 6(8) देखें)**

क्रम सं.	पद का नाम	सीधी भीती के लिए आयु	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा
1	<p>I.बध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग पद</p> <p>(1) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटीज) {स्तर-11 (67700-208700 रु.)}</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक</p> <p>सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुसूची VI की धारा-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमॉस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा लेक्चरर के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एम.सीएच) की अर्हता का शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में शामिल किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एम.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> सहायक प्रोफेसर (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा</p>

			<p>एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक लेक्चरर अथवा ट्यूटर अथवा मिनीयर रेजिडेंट अथवा डिमोंस्ट्रेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित पात्रता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
(2) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (सुपर स्पेशिएलिटी को छोड़कर) {स्तर-11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति धारा अर्हताएं को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-IV के खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एम.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा</p>	

			<p>उक्त डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> सहायक आचार्य (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक प्राध्यापक अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजिडेंट अथवा डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में खेल-कूद क्षति केन्द्र में ओर्थोपेडिक्स में सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के लिए खेल-कूद क्षति अथवा खेल-कूद मेडिसिन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव एक वांछित अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 5:</b> क्षयरोग एवं श्वसन मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन की विशेषज्ञता में नियुक्ति के लिए डाक्टरेट आफ मेडिसी (पल्मोनरी मेडिसिन) वांछनीय अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 6:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	(3) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (गेर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक)	40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) जैसा कि अनुसूची-VI में भाग-क, खंड-क में दर्शाया गया है।</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमॉन्स्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) की तीन वर्ष की आचार्य को संबंधित व्यापक स्पेशिएलिटी में अनुभव</p>



			<p>के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	II गैर-शिक्षण उप-संवर्ग पद		
I	(1) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी) {स्तर-11 (रु. 67700-208700 रु.)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञतिधारी अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p>
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी से भिन्न)	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय</p>

	{स्तर -11 (रु. 67700-208700 रु.)}	अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p>अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> फिजिशियन (चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री डिजिज) के पद के लिए रेस्पिरेट्री डिजिज और रेस्पिरेट्री लेबोरेट्री में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।</p>
	(3) स्पेशिएलिटी ग्रेड III (गैर चिकित्सा सहित गैर क्लिनिकल) {स्तर -11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) अनुसूची VI में भाग-क, खंड क के उल्लेखानुसार</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> पांच डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> पांच वर्षों की अवधि की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री को पूरा करने</p>

			के लिए तीन वर्षमाना जाएगा और उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डीएम) या मजिस्टर चिरूरगुई (एम.सीएच) के अंतिमदो वर्षों की गणना अनुभवकी आवश्यकता के तौर पर की जाएगी।
	III. लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग पद विशेषज्ञ ग्रेड-III {स्तर-11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।
	IV साधारण ड्यूटी उप-संवर्ग पद चिकित्सा अधिकारी {स्तर-10 (56100-177500 रु.)}	35 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटरनशिप का पूरा किया जाना हो तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी।

**टिप्पण :** मान्यताप्राप्त अध्यापन संस्थान जो एमबीबीएस/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुज्ञात/मान्यताप्राप्त से अभिप्रेत है।

**टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

**टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

**टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**टिप्पण 4:** लिखित परीक्षा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का पद भर्ती के मामले में साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वर्ष में 1 जनवरी को की जाएगी जिसकी परीक्षा आयोजित की गई है।

(xxiv) अनुसूची-VI तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**अनुसूची 6**  
**[दिखें नियम 6(9) और 6(10)]**

		भाग क	भाग ख
क्रम सं.	विषय	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हताएं	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
	<b>भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक</b>		
1.	शरीर रचना विज्ञान	मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एमएससी (शरीर रचना विज्ञान), या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में मास्टर डिग्री	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ एमबीबीएस; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ; या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान)।	
3.	जैव रसायन विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) के साथ एमएससी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान); या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन)।	

4.	जैव भौतिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव भौतिकी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव भौतिकी)*, या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (जैव-भौतिकी) के साथ एमएससी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या जैव भौतिकी में एक वर्ष के प्रशिक्षण के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन)।	
5.	भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भेषज गुण विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा बैचलर या शल्य क्रिया बैचलर; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान)।	
6.	विकृति विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान)	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
7.	सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जीवाणु विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य क्रिया में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ; या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
8	रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान	डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ जैव-भौतिक विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव-भौतिक विज्ञान), या डिप्लोमा राष्ट्रीय बोर्ड (रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान)*	
	<b>भाग (क 1) गैर-नैदानिक</b>		
9	फोरेंसिक चिकित्सा	डॉक्टर ऑफ मेडिसन (फोरेंसिक चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फोरेंसिक चिकित्सा)*	फोरेंसिक चिकित्सा में डिप्लोमा
	<b>ख. नैदानिक</b>		
10.	साधारण चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)*,	

11.	बाल चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल चिकित्सा विज्ञान)*	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा, या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
12.	क्षय रोग और श्वसन चिकित्सा/ फुफ्फुसीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (क्षय रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (क्षय रोग और श्वसन रोग); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग)/(क्षय रोग और श्वसन रोग)* या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा के साथ, या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (क्षय रोग और वक्ष रोग), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग और वक्ष रोग)*	क्षय रोग में डिप्लोमा, या क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
13.	मनोरोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (मनोरोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (मनोचिकित्सक चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग विज्ञान/मनोविज्ञान चिकित्सा)*, या मनोविज्ञान चिकित्सा में डिप्लोमा के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	मनोचिकित्सीय चिकित्सा में डिप्लोमा या मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा
14.	त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रति रोग); या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसिन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान और रति रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान सहित); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग विज्ञान सहित); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान/त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ/ रति रोग विज्ञान सहित/ त्वचा विज्ञान/रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग सहित) या रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान में डिप्लोमा
15.	साधारण शल्य चिकित्सा	मास्टर ऑफ सर्जरी (शल्य चिकित्सा), या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/साधारण शल्य चिकित्सा)*	
16.	आर्थोपेडिक्स	मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आर्थोपेडिक्स)*	आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा
17.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)*	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
18.	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास)*; या	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में

		डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा), या भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा के साथ शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)/शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य शल्य चिकित्सा/आर्थोपेडिक्स)* भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पुनर्वास चिकित्सा) की विशेषज्ञता में दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ या भारत में किसी भी अनुमोदित संस्थान में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	डिप्लोमा
19.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान); या एमडी (नेत्र विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नेत्र विज्ञान)*	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा, या नेत्र विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
20.	आटो-राइनो-लराइगोलोजी (कान, नाक और गला)	शल्य चिकित्सा निष्णात (आटो-राइनो-लराइन्जोलोजी), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आटो-राइनो-लराइगोलोजी)*	आटो-राइनो-लराइगोलोजी में डिप्लोमा
21.	विकिरण निदान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)	आयुर्विज्ञान और विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
22.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान)*	चिकित्सा विकिरण निदान (डीएमआरडी) में डिप्लोमा या समतुल्य डिप्लोमा
23.	संवेदनाहरण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (संवेदनाहरण); या शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संवेदनाहरण विज्ञान)*	संवेदनाहरण विज्ञान में डिप्लोमा
24.	न्युक्लियर चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (न्युक्लियर चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (न्युक्लियर चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	

		डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकिरण निदान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण-निदान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जैव-भौतिकी विज्ञान) या इसके न्युक्लियर चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	
25.	पोषण	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जैव रसायन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन/ शरीर रचना विज्ञान/ विकृति विज्ञान/ चिकित्सा/ सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)* सहित	व्यावहारिक पोषण में विज्ञान निष्णात या एक वर्ष की अवधि का विशेष प्रशिक्षण
26.	मानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान);* सहित	इंडोक्रिनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
27.	प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (प्रतिरक्षा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रतिरक्षा/ प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण) * या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जीवाणु विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसिन (रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/ रुधिर विज्ञान)* सहित	दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण
28.	कुटुंब चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (साधारण चिकित्सा) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औषधि/ मामान्य औषधि) *	
29.	विमानन चिकित्सा या विमानपत्तन चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विमानन चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विमानन आयुर्विज्ञान या विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) *	
30.	वृद्धावस्था विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (साधारण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औषधि / वृद्धावस्था विज्ञान) *	



31.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
32.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
33.	क्रीडा चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीडा चिकित्सा) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्रीडा चिकित्सा/अस्थि रोग/पीएमआर)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शारीरिक रचना विज्ञान)* के साथ क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव।	
34.	ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)* के साथ दो वर्ष का नैदानिक चिकित्सा में अनुभव	
35.	संधिवातीय शास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संधिवातीयशास्त्र)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ संधिवातीय शास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
36.	स्वास्थ्य शिक्षा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या डॉक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/सामुदायिक चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)*	
37.	सामुद्रिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान) *या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ सामुद्रिक चिकित्सा में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	
38.	वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि रोग) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग चिकित्सा/शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास/अस्थि रोग)*	

39.	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान/विकृति विज्ञान)* या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* या विज्ञान निष्णात (विषाणु चिकित्सा) के साथ विषाणु विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
<b>अतिविशेषज्ञताएं</b>			
40.	जठार तंत्र चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जठार तंत्र चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल रोग विज्ञान) (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
41.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका विज्ञान)	
42.	इंडोक्रिनोलाजी	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (इंडोक्रिनोलाजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलाजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	
43.	हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)*	
44.	वृक्क रचना विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (वृक्क रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (वृक्क रचना विज्ञान)*	
45.	प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा/प्लास्टिक एवं संरचनात्मक शल्यचिकित्सा)*	
46.	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा/ वक्षीय शल्य चिकित्सा/ हृदय शल्य चिकित्सा/ वाहिकीय शल्य चिकित्सा)*	

47.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)						
48.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग शल्य चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग शल्य चिकित्सा)						
49.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मूत्र विज्ञान)						
50.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवजात विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नवजात विज्ञान) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
51.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नैदानिक रुधिर विज्ञान) या <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या</td> <td rowspan="4">के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*</td> </tr> </table> डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या	डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*	
डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण							
डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या								
डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या								
डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*								
52.	नैदानिक फार्मोकोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक फार्मोकोलॉजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फार्मोकोलॉजी)* नैदानिक फार्मोकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
53.	रोग प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकृति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* रोग प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;						
54.	चिकित्सा आनुवांशिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा आनुवांशिकी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा आनुवांशिकी)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान); या						

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या शल्य चिकित्सा (एनोटमी)* या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान/चिकित्सा/एनोटमी)* चिकित्सा आनुवांशिकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;	
55.	चिकित्सा अर्बुदविज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकिरण विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
56.	शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य सर्जरी)* शल्य चिकित्सा जठार तंत्र विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
57.	शल्य चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या मास्टर ऑफ सर्जरी (कान, नाक, गला); या मास्टर ऑफ सर्जरी (अस्थि रोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सर्जरी/ईएनटी/ अस्थि रोग विज्ञान/ प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान)* शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
58.	बाल रोग हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान)* हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
59.	पल्मोनरी मेडिसन	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (पल्मोनरी मेडिसन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (पल्मोनरी मेडिसन)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (रेस्पिरिटरी मेडिसन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रेस्पिरिटरी मेडिसन/ सामान्य चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)*। पल्मोनरी मेडिसिन में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित।	
<b>घ. लोक स्वास्थ्य</b>			
60.	सामाजिक और निवारक चिकित्सा या सामुदायिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और	

		निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन/ स्वास्थ्य प्रशासन)*	
61	जन-स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या तीन वर्षीय मास्टर-जन स्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य में डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या ट्रोपिकल मेडिसन में डिप्लोमा। ट्रिपीकल्स मेडिसन और स्वच्छता में डिप्लोमा
62.	जानपादिक रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)* । <b>वांछनीय :</b> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में जानपादिक रोग विज्ञान में एक वर्ष का प्रशिक्षण।	
	बाल रोग नेफ्रोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) तथा डाक्टरेट ऑफ मेडिसन (नेफ्रोलॉजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण बाल रोग नेफ्रोलॉजी में हो।	

**टिप्पण 1 :** किन्ही भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियमों, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या अपवर्जित किया गया समझा जाएगा ।

**टिप्पण 2 :** किसी भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

**टिप्पण 3 :** नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में सम्मिलित कर सकेगा ।

**टिप्पण 4 :** डीएनबी अर्हता चिकित्सा संस्था में अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता (संशोधन) विनियमावली, 2012, संशोधन अधिसूचना सं. एमसीआई-12(2)/2010-मेड.मि. तारीख 11.6.2012 या समय-समय पर यथासंशोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के उपाबंधों के अधीन होंगे।

(xxv) निम्नलिखित प्रविष्टियों को अनुसूची- VIII के रूप में शामिल किया जाएगा: